न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 98 सन 2018

अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. शिशपाल पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. विनोद पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. आत्माराम पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. हसंराज पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. अनिल कुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. राजेन्द्र पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
7. इन्द्रो पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता सायल
श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 11/2/21

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 53/8 की कुल 5.5660हैक्‍ भूमि शामिल खाते में सायल व गैरसायल के नाम दर्ज हे जिसमें सायल व गैरसायल संख्या 1 ता 4 का 5/7 हिस्सा गैरसायल न0 5 ता 7 का 1/7 हिस्सा गैरसायल न0 8 ,9 का 1/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

सायल व गैरसायलान का खाता शामिल होने के कारण सीव व लगान का झगडा रहता है इसलिये शामिल खाते की भूमि का किस्म भूमि व हक हिस्से के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग करवाने का वाद पेश किया गया है ।

गैरसायल न0 1 ता 7 ने बिना खाता विभाजन करवाये अजनबी व्यक्तियों को भूमि बेचान करना चाहते है तथा निर्माण करना चाहते है तथा सम्पूर्ण भूमि पर जबरिया कब्जा करना चाहते है तथा गैरसायल सायल के कब्जा काश्त की भूमि पर काबिज होना चाहते है इसलिये सायल गैरसायल को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि जब तक सायल व गैरसायल के हक हिस्से के अनुसार भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज नही हो जाता तब तक वाद भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं रहन बेय नही करने हेतु पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 13 एनटीआर केखाता संख्या 53/8 की कुल 5.5660हैक्‍ भूमि के 5/7 हिस्सा भूमि का बिना खाता विभाजन करवाये सायल के हक हिस्सा कब्जा काश्त की भूमि में मदाखलत बेजा ना करे एवं किसी प्रकार का निर्माण नही करे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने एव वाद भूमि का कोई हिस्सा रहन बैय ना करे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया गेरसायल न0 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की वाद भूमि सायल एवं गैरसायल के नाम सयुक्त खाता में दर्ज है एवं गैरसायल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनके खिलाफ किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल न0 1 का जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

वकील सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 53/8 की कुल 5.5660हैक्‍ भूमि शामिल खाते में सायल व गैरसायल के नाम दर्ज हे जिसमें सायल व

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

गैरसायल संख्या 1 ता 4 का 5/7 हिस्सा गैरसायल न0 5 ता 7 का 1/7 हिस्सा गैरसायल न0 8 ,9 का 1/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

सायल व गैरसायलान का खाता शामिल होने के कारण सीव व लगान का झगडा रहता है इसलिये शामिल खाते की भूमि का किस्म भूमि व हक हिस्से के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग करवाने का वाद पेश किया गया है ।

गैरसायल न0 1 ता 7 ने बिना खाता विभाजन करवाये अजनबी व्यक्तियों को भूमि बेचान करना चाहते है तथा निर्माण करना चाहते है तथा सम्पूर्ण भूमि पर जबरिया कब्जा करना चाहते है तथा गैरसायल सायल के कब्जा काश्त की भूमि पर काबिज होना चाहते है इसलिये सायल गैरसायल को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि जब तक सायल व गैरसायल के हक हिस्से के अनुसार भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज नही हो जाता तब तक वाद भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं रहन बेय नही करने हेतु पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

वकील गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सायल एवं गैरसायल के नाम सयुक्त खाता में दर्ज है एवं गैरसायल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनके खिलाफ किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायलान मुश्तरका खातेदार काश्तकार है जिनके खाता विभाजन का बिन्दु वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार निधारिंत होगा प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 53/8 की कुल 5.5660हैक्‍ भूमि शामिल खाते में सायल व गैरसायल के नाम दर्ज है उभयपक्ष रिकार्डेड मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

सायल का कथन है कि गैरसायल बिना खाता विभाजन करवाये निर्माण करवाना चाहते है कोई भी मुश्तरका खातेदार काश्तकार सयुक्त खाते की भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान अलग से कायम करवाने से पूर्व किसी प्रकार का निर्माण किया जाना न्यायोचित नही है क्योकि मुश्तरका खाते में कोनसी भूमि उसके हक हिस्सा में होगी तय नही है।

मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर होना है जब तक वाद में उभयपक्षों का खाता व लगान अलग अलग नही हो जाता तब तक वाद भूमि में किसी प्रकार का परिर्वतन/निर्माण व विशेष हिस्से का बेचान उभयपक्षों के द्वारा नही करने हेतु पाबन्द किया जाना उचित है

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दु गैरसायल न0 1 के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 53/8 की कुल 5.5660हैक्‍ भूमि की वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष यथास्थिति बनाये रखे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/2/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner